

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत ऐचोली बडाबे मोटर मार्ग के किमी0 13 पत्थरखानी से सेलकटिया डुबलिया विजरकाण्डा धूर्इरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत ऐचोली बडाबे मोटर मार्ग के किमी0 13 पत्थरखानी से सेलकटिया डुबलिया विजरकाण्डा धूर्इरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.78 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.067 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल

0.847 हे0 वन भूमि) का प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 21.08.08 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ली रविशंकर जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ली रविशंकर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2- श्री विनय शर्मा - प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्रीमति मंजूला देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ग्राम सिर्दाग धारचूला जिला पंचायत सदस्य
- 4- श्री कमलेश आर्या पुत्र श्री प्रेम राम ग्राम जैती विकास खण्ड मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य
- 5- श्री अमर बहादुर चन्द पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द ग्राम दुतीबगड जौलजीबी विकास खण्ड धारचूला जिला पंचायत सदस्य
- 6- श्री ए.के. शर्मा - जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत ऐचोली बडाबे मोटर मार्ग के किमी0 13 पत्थरखानी से सेलकटिया डुबलिया विजरकाण्डा धूर्इरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 0.847 हे0 वन भूमि प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत ऐचोली बडाबे मोटर मार्ग के किमी0 13 पत्थरखानी से सेलकटिया डुबलिया विजरकाण्डा धूर्इरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.847 हे0 वन भूमि प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ़

माननीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

जिला पंचायत
सिर्दाग
दिनांक 20.08.08

जिला पंचायत सदस्य
सिर्दाग 01

माननीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
No---

Office of the District Collector Pithoragarh

Dated---31.08.018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.847** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Work Department** for in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Bilai** (**Patharkhani, Selkatiya, Dubaliya**), **Saungaon** (**Vijarkanda, Dhura**) village (s) in **Munakot** (**Pithoragarh**) tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.847** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

पिथौरागढ़

प्रारूप-30.1
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **L. Ravi Sankar** S deputy commissioner, **Pithoragarh** on dated at time **4.00** at **P.M.** in which application claiming rights in area measuring 0.847 hect for the construction of **Bilai (Patharkhani to Selkatiya, Dubaliya), Saungaon (Vijarkanda, Dhuira)** Motar road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Munakot (Pithoragarh)** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: **Pithoragarh**
Dated: **21.8.2018**

Deputy Commissioner - Chairman
District Level Committee

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत ऐचोली बडाबे मोटर मार्ग के किमी0 13 पत्थरखानी से सेलकटिया डुबलिया विजरकाण्डा धूर्सा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत ऐचोली बडाबे मोटर मार्ग के किमी0 13 पत्थरखानी से सेलकटिया डुबलिया विजरकाण्डा धूर्सा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.780 हे0 सिविल सोयम वन भूमि 0.067 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.847 हे0 वन भूमि) का प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 23-06-2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~सरोज कुमारी~~ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ~~सरोज कुमारी~~ उपजिलाधिकारी -----अध्यक्ष
- 2- श्री ~~सरोज कुमारी~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी -----सदस्य
- 3- श्री ~~विश्वनाथ~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी -----सदस्य/सचिव
- 4- श्रीमती ~~हेमलता~~ बी0डी0सी0 क्षेत्र -----सदस्य
- 5- श्रीमती सुशीला देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र गोगना सदस्य
- 6- श्री राजेन्द्र सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र खतीगांव तल्लीसार सदस्य
- 7- श्री ललित प्रसाद बी0डी0सी0 क्षेत्र उपरतोला सदस्य
- 8- श्रीमती बिन्दू देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र निशनी सदस्य
- 9- श्री मनोज धपोला बी0डी0सी0 क्षेत्र दियूड़ी सदस्य
- 10- श्रीमती शकुन्तला देवी ग्राम वुडौली
- 11- श्रीमती निर्मला देवी ग्राम जजुराली
- 12- श्रीमती सुनीता देवी ग्राम सौड़लेख
- 13- श्रीमती भागीरथी देवी ग्राम जीवी
- 14- श्री महेश ग्राम भडकटिया

क्षेत्र पंचायत भडकटिया-प्रथम

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत ऐचोली बडाबे मोटर मार्ग के किमी0 13 पत्थरखानी से सेलकटिया डुबलिया विजरकाण्डा धूर्सा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 0.847 हे0 वन भूमि प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत ऐचोली बडाबे मोटर मार्ग के किमी0 13 पत्थरखानी से सेलकटिया डुबलिया विजरकाण्डा धूर्सा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 0.847 हे0 वन भूमि प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद/तहसील-पिथौरागढ़
(विकासखण्ड)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-पिथौरागढ़
जनपद (पिथौरागढ़)

श्रीमती सुनीता देवी
कमिष्ठ प्रमुख
विकासखण्ड मूनाकोट (पिथौरागढ़)
शकुन्तला देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
मुरमुनी, वि.ख.विण
(पिथौरागढ़)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड - मूनाकोट (पिथौरागढ़)

भागीरथी देवी

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत ऐचोली बड़ावे मोटर मार्ग के किमी 0 13 पत्थरखानी से सेलकटिया डुबलिया विजरकाण्डा धूर्इरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बिलाई (पत्थरखानी, सेलकटिया, डुबलिया)
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पत्थरखानी से सेलकटिया डुबलिया विजरकाण्डा धूर्इरा नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.78 हे० सिविल सोयम भूमि 0.067 हे०, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.847 हे० वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बिलाई द्वारा दिनांक 14-5-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बिलाई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत बिलाई
हो 0
ग्राम सचिव
मुहर सहित जिला-पिथौरागढ़



सरपंच
मुहर सहित जिला-पिथौरागढ़

तहसीलदार
पिथौरागढ़

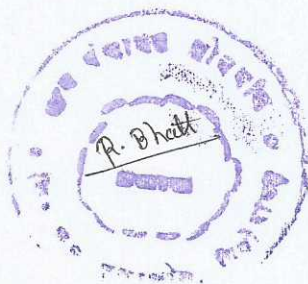
प्रारूप-30.4

दिनांक 14.5.18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बिलाई (पत्परखानी, सेलकटिया, डुबकिया)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नीलम कुमारी	नीलम कुमारी
2	जगदीश	जगदीश
3	सुवन	सुवन
4	हरिश प्रसाद	हरिश प्रसाद
5	मनाहर	मनाहर
6	दीनत राम	दीनत राम
7	बागरी देवी	बागरी देवी
8	खड्ग सिंह	खड्ग सिंह
9	सतीश कुमार	सतीश कुमार
10	मोहन सिंह	मोहन सिंह
11	पुस्कर राम	पुस्कर राम
12	निमला	निमला
13	माया देवी	माया देवी
14	माधव राम	माधव राम
15	मदन राम	मदन राम
16	कुलदी देवी	कुलदी देवी
17	नारायणी देवी जोशी	नारायणी देवी जोशी
18	भरत चन्द जोशी	भरत चन्द जोशी
19	गणेश जोशी	गणेश जोशी
20	चंचल राम	चंचल राम
21	हानी राम	हानी राम
22	मीना देवी	मीना देवी
23	सपना देवी	सपना देवी
24	हरीश जोशी	हरीश जोशी
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

सम्पन्न
ग्राम पंचायत बिलाई



ग्राम पंचायत बिलाई
प्रमाण
ह0/-
ग्राम प्रधान

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत ऐचोली बड़ाबे मोटर मार्ग के किमी 0 13 पत्थरखानी से सेलकटिया डुबलिया विजरकाण्डा धूर्ईरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मूनाकोट (विलरकाण्डा, धूर्ईरा)
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पत्थरखानी से सेलकटिया डुबलिया विजरकाण्डा धूर्ईरा नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.78 हे० सिविल सोयम भूमि 0.067 हे०, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.847 हे० वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

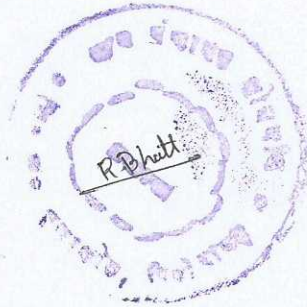
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मूनाकोट द्वारा दिनांक 15.5.18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बिलाई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत मूनाकोट अभिकारी
ह०/- सिल
ग्राम सचिव
मुहर सहित मूनाकोट
जिला:- पिथौरागढ़

कमला देवी



ग्राम पंचायत मूनाकोट
प्रधान
ह०/- सिल
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

तहसीलदार
पिथौरागढ़

प्रारूप-30.4

दिनांक 15.5.18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जसौनगांव (विजरकांडा, धुईरा)

[illegible]

~~म ॥ ८॥ १॥~~

